



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को 05 वर्ष के कठोर कारावास व 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत मु०अ०सं०- 286/2016 धारा-354B,506 भा०द०सं० व 8 पाक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय विशेष पाक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा अभियुक्त उमेश पुत्र जयराम कुशवाहा निवासी ग्राम करहिया थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को धारा-354B,506 भा०द०सं० में दोषसिद्ध करते हुए 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक
एडीजीसी रुद्र प्रताप
सिंह



विवेचक-
निरी० काशी नाथ
उपाध्याय



पैरोकार
थाना - मौदहा
का० प्रदीप भार्गव